POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 29.05.2026

1. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेही से चोरी के आभूषण (अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये), 01 लाख 65 हजार रुपये नगद, घटना में प्रयुक्त एक ऑटो व 03 अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **29.05.2026** को **थाना सूरजुपर पुलिस** द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से चोरी करने वाले अंतर्जनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 04 अभियुक्त 1.प्रदीप यादव उर्फ फौजी पुत्र वीर सिंह 2.शिव कुमार उर्फ चूंचा पुत्र वीर सिंह 3.वीरेश उर्फ वीरा पुत्र मदनपाल 4.सूरज उर्फ बंटा पुत्र राजू उर्फ पप्पू अहीरवार को थाना क्षेत्र से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के आभूषण (अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रूपये), 01 लाख 65 हजार रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त एक ऑटो रजि नं0 UP16LT8138 व अभियुक्त प्रदीप, शिव कुमार व वीरेश के कब्जे से 01-01 अवैध चाकू भी बरामद हुआ है ।

अपराध का तरीका-- अभियुक्तगण का एक संगठित गिरोह है, जिनके द्वारा ऑटो से दिल्ली व एनसीआर नोएडा क्षेत्र के सेक्टरों एवं सोसाईटी में बंद पड़े मकानों की रैकी कर ताला व ग्रिल तोड़कर चोरी की जाती है तथा चोरी करने के बाद ऑटो में बैठकर वहाँ से फरार हो जाते है। यह लोग मुख्यत: चार से पाँच सदस्यो के ग्रुप में रहते है जिनमें से एक या दो व्यक्ति बाहर ऑटो में रहकर आने जाने वाले लोगो पर निगरानी करते है व शेष लोग घऱ में अंदर घुसकर ताला तोड़कर व ग्रिल तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते है ।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उनके द्वारा दिनांक 21.05.2026 को एक बंद पडे मकान ओमीक्रोन-3 में घर में घुसकर खिड़की तोड़कर घर से आभूषण व 03 लाख 70 हजार रूपये नगद चोरी कर लिये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0-290/2026 धारा 305(A)/331(4) BNS पंजीकृत है। इसी तरह अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 24.05.2026 को डेल्टा-1 में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर घर से आभूषण व नगदी चोरी कर लिये थे जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 279/2026 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत है। इसी तरह अभियुक्तगण के द्वारा दिनांक 24.05.2026 को डेल्टा-1 में ही एक अन्य बंद पड़े मकान में घुसकर आभूषण व नगदी चोरी कर लिये गये थे, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 285/2026 धारा 305(A)/331(4) बीएनएस पंजीकृत है ।

अभियुक्तों का विवरण--

1.प्रदीप यादव उर्फ फौजी पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम तुमरईघाट, थाना रजपुरा, जनपद सम्भल वर्तमान पता डेल्टा-2, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 20 वर्ष।
2.शिव कुमार उर्फ चूंचा पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम तुमरईघाट, थाना रजपुरा, जनपद सम्भल वर्तमान पता डेल्टा-2, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 19 वर्ष।
3.वीरेश उर्फ वीरा पुत्र मदनपाल निवासी ग्राम धनीपुर, थाना जुनवई, जिला सम्भल वर्तमान पता ग्राम जुनपत, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 24 वर्ष।
4.सूरज उर्फ बंटा पुत्र राजू उर्फ पप्पू अहीरवार निवासी ग्राम उटिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा वर्तमान पता ग्राम जैतपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर उम्र करीब 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

- **अभियुक्त प्रदीप यादव उर्फ फौजी--**

1.मु0अ0सं0-223/2025 धारा 9/25 आर्म्स एक्ट व 317(5)/345(3) बीएनएस थाना नॉलेज पार्क, कमि0 गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0-279/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3.मु0अ0सं0-285/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4.मु0अ0सं0-290/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
5.मु0अ0सं0-291/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6.मु0अ0सं0-152/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त वीरेश उर्फ वीरा--**

1.मु0अ0सं0-163/2019 धारा 379/411 भादवि थाना गुन्नौर, जनपद सम्भल।
2.मु0अ0सं0-182/2019 धारा 41 सीआरपीसी थाना गुन्नौर, जनपद सम्भल।
3.मु0अ0सं0-41/2021 धारा 308/323/324/504 भादवि थाना गुन्नौर, जनपद सम्भल।
4.मु0अ0सं0-614/2024 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
5.मु0अ0सं0-199/2024 धारा 60/63 आब0अधि0 थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6.मु0अ0सं0-241/2025 धारा 60 आब0 अधि0 थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
7.मु0अ0सं0-279/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
8.मु0अ0सं0-285/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
9.मु0अ0सं0-290/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
10.मु0अ0सं0-291/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।
11.मु0अ0सं0-152/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त सूरज उर्फ बंटा--**

1.मु0अ0सं0-70/2025 घारा 303(2)/317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर ।

2.मु0अ0सं0- 86/2024 धारा 380/411/413 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3.मु0अ0सं0-296/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4.मु0अ0सं0-455/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
5.मु0अ0सं0- 457/2024 धारा 317(5) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
6.मु0अ0सं0-303/2025 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
7.मु0अ0सं0-279/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
8.मु0अ0सं0-285/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
9.मु0अ0सं0- 290/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
10.मु0अ0सं0-152/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

- **अभियुक्त शिव कुमार--**

1.मु0अ0सं0-400/2024 धारा 482 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
2.मु0अ0सं0-251/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
3.मु0अ0सं0-253/2024 धारा 411/414 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
4.मु0अ0सं0-71/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना धनारी, जिला सम्भल।
5.मु0अ0सं0-55/2025 धारा 60 आब0अधि0 थाना गुन्नौर, जनपद सम्भल।
6.मु0अ0सं0-60/2025 धारा 317(2)/317(5)/318(4) बीएनएस थाना गुन्नौर, सम्भल।
7.मु0अ0सं0-275/2024 धारा 305/317(2)/331(4) बीएनएस थाना रजपुरा, जनपद सम्भल।
8.मु0अ0सं0-279/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
9.मु0अ0सं0-285/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
10.मु0अ0सं0-290/2026 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
11.मु0अ0सं0-291/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
12.मु0अ0सं0-152/2026 धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1.दो चैन पीली धातु
2.तीन आयताकार विस्कुटनुमा सफेद धातु
3.एक सफेद धातु का सिक्का
4.एक लाख 65 हजार रुपये नगद
5.एक पायल सफेद धातु
6.दो जोडी बिछुए सफेद धातु
7.एक नोज पिन पीली धातु
8.तीन हार पीली धातु
9.चार पीली धातु के कडे
10.चार कंगन पीली धातु
11.ग्यारह अंगूठी पीली धातु

12.एक चैन पीली व सफेद धातु
13.एक चैन मालानुमा पीली धातु
14.एक चैन मंगलसूत्र नुमा पीली धातु
15.आठ जोडी कान के झुमके व टोप्स मय चार जोडी कान के सुई धागा व 08 सिंगल कान के टोप्स व झुमके सभी पीली धातु
16.एक हस्त बंद सफेद मोतियो युक्त पीली धातु
17.एक जोडी सफेद मोतियो की माला जिसमें कोने व बीच में पीली धातु लगी है
18.एक सफेद मोतियो की माला सफेद धातु
19.एक सीडीनुमा पीली धातु का लॉकेट,
20.एक पैन्डेन्ट पीली धातु
21.एक चैन सफेद धातु
22.एक जोडी पायल सफेद धातु रंग विरंगे नग जडित
23.एक सफेद धातु का 2000 का नोट
24.सत्ताईस सफेद धातु के सिक्के
25.एक ऑटो रजि0नं0 UP16LT8138 (घटना में प्रयुक्त)
26.तीन अवैध चाकू

नोटः- उपरोक्त बरामद सामान की कीमत लगभग 50 लाख रूपये है।

2. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले बैंक खाते उपलब्ध कराने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- साइबर अपराधियों द्वारा स्वयं को ट्राई का अधिकारी बताकर वादी मुकदमा की आई0डी0 की सिम/मोबाइल नं0 से अश्लील वीडियो भेजे जाने की जांच मुम्बई क्राइम ब्रांच व सीबीआई द्वारा किये जाने का भय दिखाकर जॉच के नाम पर डिजिटल अरेस्ट कर वादी मुकदमा से 1,29,61,962 रुपये को विभिन्न बैंक खातो में ट्रान्सफर कराकर धोखाधडी की गई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0 28/2026 अन्तर्गत धारा 308(2), 318(4), 319(2), 61(2) ठछै व 66डी आईटी एक्ट सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था, जिसमें पूर्व में 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके है।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **29.05.2026** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा अभिसूचना संकलन एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त आकाश पुत्र नरेश निवासी थाना निहाल विहार जिला वेस्ट दिल्ली, दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष को **गिरफ्तार** किया गया है।

उक्त अभियुक्त के द्वारा मजदूरों व अन्य लोगों के बैंक खाता खुलवाकर साइबर अपराध के लिये अपराधियो को 50 हजार रूपये में प्रति खाता उपलब्ध कराता था। अभियुक्त अब तक करीब 12 बैंक खातों को साइबर अपराधियों को दे चुका है। अभियुक्त के स्वयं के बैक खाता पर साइबर क्राइम पोर्टल पर कर्नाटक-04, महाराष्ट्र-03, तेलगांना-01, केरल-02, हरियाण-01, गुजरात-01 राज्यो से 13 शिकायते दर्ज है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- आकाश पुत्र नरेश निवासी नागलोई थाना निहाल विहार जिला वेस्ट दिल्ली, दिल्ली उम्र करीब 21 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 28/2026 अन्तर्गत धारा 308(2), 318(4), 319(2), 61(2) बीएनएस व 66डी आईटी एक्ट साइबर क्राइम थाना नोएडा गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

02 मोबाइल फोन

महत्वपूर्ण साइबर सुरक्षा सुझाव--

1. साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।
2. "डिजिटल अरेस्ट" जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पुलिस, CBI, ED या कोई भी सरकारी एजेंसी फोन/वीडियो कॉल पर आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती।
3. यदि कोई खुद को पुलिस, CBI, ED, नारकोटिक्स या इनकम टैक्स अधिकारी बताकर डराए या डिजिटल अरेस्ट की बात करे, तो घबराएं नहीं और तुरंत पुलिस या साइबर थाना को सूचना दें।
4. यदि कोई आपको अश्लील वीडियो, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, ड्रग्स या किसी अपराध में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे, तो उसकी बातों में न आएं और तुरंत शिकायत करें।
5. OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/Credit Card नंबर, CVV, पासवर्ड या आधार-पैन की जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ साझा न करें।6. किसी भी व्यक्ति को कमीशन, किराया या लालच के बदले अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक या मोबाइल नंबर उपयोग करने के लिए न दें। ऐसा खाता म्यूल अकाउंट (Mule Account) बन सकता है और साइबर अपराध में प्रयुक्त होने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।